सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाएँ

उत्तर–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना–

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाऐं संचालित की जा रही हैं जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकें।

- ➢ अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- ➢ अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- ➢ विशेष समूह उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)
- ➢ अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- ➢ आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- ➢ विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- ➢ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च्य शिक्षा छात्रवृति योजना

राज्य में अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक व व्यवसायिक पाठयक्रमों हेतु निम्नानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं :–

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति–

योजना की पात्रता–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता / सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

आवश्यक दस्तावेज–

1. जन आधार आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

नोटः– विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना जन–आधार पोर्टल के माध्यम से छात्रवृति पोर्टल पर ली जाती है।

देय लाभ– इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अन्य पिछड़ा वर्ग–

योजना की पात्रता –

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता / सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्रा–छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
5. छात्र–छात्रा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हो :–
   i. बी.पी.एल. कार्ड धारकों के पुत्र और पुत्री
   ii. अन्त्योदय कार्ड धारकों के पुत्र और पुत्री
   iii. स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारकों के पुत्र और पुत्री

iv. अनाथ बालिका और बालक
v. विधवा स्वयं
vi. विधवा के के पुत्र और पुत्री
vii. तलाकशुदा महिला स्वयं
viii. तलाकशुदा महिला के पुत्र और पुत्री
ix. विशेष योग्यजन स्वयं,
x. विशेष योग्यजन के पुत्र और पुत्री

आवश्यक दस्तावेज–

1. जन आधार आई.ड़ी
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंत तालिका
7. जाति प्रमाण–पत्र

देय लाभ– इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना–

योजना की पात्रता–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता / सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 1,00 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

आवश्यक दस्तावेज–

1. जन आधार आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षण की अंक तालिका

देय लाभ– इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

आवेदन कैसे करें–

विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक new Scholarship portal पर अथवा छात्रवृति पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध–घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना–

योजना की पात्रता–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

आवश्यक दस्तावेज–

1. जन आधार आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र 5. फीस की रसीद
5. अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका

देय लाभ –इस योजना में केवल अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना–

योजना की पात्रता–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये के कम हो।
2. छात्र–छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो
3. छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों। उक्त योजना में शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली गई नोन रिफन्डेबल फीस का 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण/भुगतान नियमानुसार देय है।

आवश्यक दस्तावेज–

1. जन आधार आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है।

आवेदन कैसे करें–

विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक new Scholarship portal पर अथवा छात्रवृति पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में अनुरक्षण भत्ते (Maintenance allowance) की दरें निम्न प्रकार निर्धारित हैं :–

ग्रुप	कोर्स (यह कोर्स केवल उदारणार्थ है, विस्तृत कोर्स नियमावली में उपलब्ध है)	SC / ST/ SBC/ DNTs		OBC / EBC		CMSS (मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना)
		छात्रावासी	गैर–छात्रावासी	छात्रावासी	गैर–छात्रावासी	
A	IIT AIIMS ,MBBS, P.G., C.A., CS, M Phil, PhD, D.Litt. LLM, etc.	1200	550	750	350	योजना के साथ संलग्न सूची में वर्णित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जावेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क/ फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
B	B Pharma, Nursing, LLB, M.Ed, M.A.,Msc, M.Com. M.Pharma. Diploma etc.	820	530	510	335	
C	B.A., B.Sc., B.Com	570	300	400	210	
D	ITI. Polotechnic Diploma, Class XI and XIIth	380	230	260	160	

आवेदन कैसे करें–

विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक new Scholarship portal पर अथवा छात्रवृति पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।